

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या -439/2023

अनवान : -

1. इमला देवी पत्नी हरदेवाराम जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. बलवान सिंह पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. सन्दीप कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. सुनील कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।

-वादीगण

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. रामेश्वर पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. श्योपत पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. सतपाल पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
5. सतवीर पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
6. साहबराम पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
7. अनसुईया पत्नी राजाराम जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
8. दीपचन्द सहारण पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
9. पूर्णराम सहारण पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
10. महेन्द्र सिंह पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
11. रामी देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
12. चन्द्रकला पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
13. राजवीर पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
14. राममूर्ति पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
15. सुन्दर देवी पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान

काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 06.06.2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 277/118 की कुल 5.3750 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 212/208 की कुल 5.3750 हैक्ट भूमि में से 1722/10750 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 7 तथा 253/1075 हिस्सा प्रतिवादी स0 8 एवं 1327/5375 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 9 तथा 1012/5375 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 10 एवं 1771/10750 हिस्सा भूमि

प्रतिवादी स० 11 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स० 377/361 की कुल 7.8910 हैक्ट भूमि में से वादीगण स० 1 ता 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स० 13/177 की कुल 448/458 की कुल 1.5680 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण स० 12 ता 15 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि बाबत बंटवारा कर रखा है मुताबिक बंटवारा के काश्त करते आ रहे हैं लेकिन जमाबंदी में अंकन नहीं होने के कारण वादीगण परेशानी का समाना पड़ रहा है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को पूर्वजों ने किये बंटवारे के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है। वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि मुताबिक बंटवारा के अनुसार दस्तावेजों में अंकन करवा पाने के अधिकारी हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं— रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स० 277/188 के ख०न० 292/457 की 5.3750 हैक्ट भूमि में से 1.2650 हैक्ट भूमि एवं खाता स० 123/117 के ख०न० 484/458 की 1.5680 हैक्ट भूमि एवं खाता स० 212/208 के ख०न० 292 की 5.3750 हैक्ट भूमि में से 1.265 हैक्ट भूमि में वादीगण स० 1 ता 5 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे। इसी प्रकार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स० 277/118 के ख०न० 292/457 की 4.1100 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण स० 1 ता 6 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स० 212/208 के ख०न० 292 की 4.110 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण स० 7 अकेली 0.6325 हैक्ट एवं प्रतिवादीगण स० 8 अकेल 1.0120 हैक्ट एवं प्रतिवादी स० 9 अकेला 1.074 हैक्ट एवं प्रतिवादी स० 10 अकेला 0.7590 हैक्ट, प्रतिवादी स० 11 0.6325 हैक्ट भूमि में खातेदार काश्तकार रहेंगे। रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स० 377/361 के ख०न० 58 की 2.6303 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण स० 12 ता 15 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं शेष भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हैं। यही बिनाय दावा हैं

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 1 3 व 5 ता 15 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक इस्तदुआ डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी स० 4 की तरफ से अधिवक्ता श्री अजय गुरु ने जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक इस्तदुआ डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स० 4 को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 15 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 277/118 की कुल 5.3750 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 212/208 की कुल 5.3750 हैक्ट भूमि में से 1771/10750 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 7 तथा 253/1075 हिस्सा प्रतिवादी स0 8 एवं 1327/5375 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 9 तथा 1012/5375 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 10 एवं 1771/10750 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 11 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 377/361 की कुल 7.8910 हैक्ट भूमि में से वादीगण स0 1 ता 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 13/177 की कुल 448/458 की कुल 1.5680 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण स0 12 ता 15 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 व 5 ता 15 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक इस्तदुआ डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 व 5 ता 15 को कोई एतराज नहीं है तथा प्रतिवादी स0 4 की तरफ से अधिवक्ता श्री अजय गुरु ने जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक इस्तदुआ डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 4 को कोई एतराज नहीं है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 15 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

#### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 277/188 के ख0न0 292/457 की 5.3750 हैक्ट भूमि में से 1.2650 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 123/117 के ख0न0 484/458 की 1.5680 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 212/208 के ख0न0 292 की 5.3750 हैक्ट भूमि में से 1.265 हैक्ट भूमि में वादीगण स0 1 ता 4 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 277/118 के ख0न0 292/457 की 4.1100 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 212/208 के ख0न0 292 की 4.110 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण स0 7 को 0.6325 हैक्ट भूमि का

एवं प्रतिवादीगण स0 8 को 1.0120 हैक्ट भूमि का, प्रतिवादी स0 9 को 1.074 हैक्ट भूमि का, प्रतिवादी स0 10 को 0.7590 हैक्ट भूमि का, प्रतिवादी स0 11 को 0.6325 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 377/361 के ख0न0 58 की 2.6303 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण स0 12 ता 15 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 6.16.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-अरड़की

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या -439/2023

अनवान : -

1. इमला देवी पत्नी हरदेवाराम जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. बलवान सिंह पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. सन्दीप कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. सुनील कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।

-वादीगण

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. रामेश्वर पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. श्योपत पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. सतपाल पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
5. सतवीर पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
6. साहबराम पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
7. अनसुईया पत्नी राजाराम जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
8. दीपचन्द सहारण पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
9. पूर्णराम सहारण पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
10. महेन्द्र सिंह पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
11. रामी देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
12. चन्द्रकला पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
13. राजवीर पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
14. राममूर्ति पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
15. सुन्दर देवी पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 439 सन 2023 निर्णय दिनांक 06.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 277/188 के ख0न0 292/457 की 5.3750 हैक्ट भूमि में से 1.2650 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 123/117 के ख0न0 484/458 की 1.5680 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 212/208 के ख0न0 292 की 5.3750 हैक्ट भूमि में से 1.265 हैक्ट भूमि में वादीगण

स0 1 ता 4 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 277/118 के ख0न0 292/457 की 4.1100 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 212/208 के ख0न0 292 की 4.1100 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण स0 7 को 0.6325 हैक्ट भूमि का एवं प्रतिवादीगण स0 8 को 1.0120 हैक्ट भूमि का, प्रतिवादी स0 9 को 1.074 हैक्ट भूमि का, प्रतिवादी स0 10 को 0.7590 हैक्ट भूमि का, प्रतिवादी स0 11 को 0.6325 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 377/361 के ख0न0 58 की 2.6303 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण स0 12 ता 15 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक.....6/6/23.....को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-अरड़की